न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 156/2024 दायर दिनांक–11.09.2024

1. बलबीर पुत्र भोजराज जाति नायक निवासी कारी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

– वादी

बनाम

1. महेश पुत्र जगनलाल
2. संतोष पुत्री जगनलाल
3. सरोज पुत्री जगनलाल समस्त जाति मेघवाल निवासी खिरोड़ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनू।
4. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू

–प्रतिवादीगण

वकील वादी :– **श्री विप्लव पंडित**
वकील प्रतिवादी :– **एकपक्षीय**

दावा बाबत विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 28.04.2025

वाद वादी दिनांक 20.01.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीश्नर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः भू0 अ0/2025/6859 दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। वादी की ओर से मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति व्यक्त की। फलस्वरूप मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वाके राजस्व ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2420/1274 रकबा 1.17 हे0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	बलबीर पुत्र भोजराज जाति नायक साकिन देह खातेदार	2420/1274/1	0.6710	बारानी 3
2	प्रमोद कुमार पुत्र बुधराम जाति मेघवाल साकिन धायलों का बास खातेदार	2420/1274/2	0.4990	बारानी 2 0.1872 बारानी 3 0.3118

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुता[illegible] निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर [illegible] संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। [illegible] निर्णय से यदि पक्ष[illegible] संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु [illegible] सुमार होकर नम्बर से [illegible] हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] दिनांक 28.04.2025 को खु[illegible] न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

पीठासीन अधिकारी :– सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.).

मुकदमा नम्बर 156 / 2024

दावा : विभाजन

(बलबीर बनाम महेश आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **सुशील कुमार सैनी** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 28.04.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। वाके राजस्व ग्राम कारी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 2420 / 1274 रकबा 1.17 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	बलबीर पुत्र भोजराज जाति नायक साकिन देह खातेदार	2420 / 1274 / 1	0.6710	बारानी 3
2	प्रमोद कुमार पुत्र बुधराम जाति मेघवाल साकिन धायलों का बास खातेदार	2420 / 1274 / 2	0.4990	बारानी 2 0.1872 बारानी 3 0.3118

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 28.04.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:38:33 IST
Reason: SelfAttested